



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243644
CG-DL-E-16022023-243644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678]
No. 678]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 26, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 26, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

का.आ. 708(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1281(अ) तारीख 15.03.2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 23.03.2022, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य में मुंबई — नागपूर — झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के खंड नागपूर — जबलपुर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

मुम्बई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन						
अनुभाग – नागपुर-जबलपुर						
अनुसूची						
राज्य : महाराष्ट्र						
जिला	तालुका	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
नागपूर	कलमेश्वर	गाँडखैरी	230	00	39	74
			233	00	02	02
			322	00	21	93
			327	00	27	91
			28	00	51	07
			38	00	48	78
नागपूर	कलमेश्वर	कारली (वानेरी)	29	00	75	84
			30	00	35	44
			31	00	00	24
			32	00	27	72
			33	00	22	46
			34	00	17	88
			43	00	15	53
			42	00	37	83
			40	00	59	16
			73	00	43	30
नागपूर	कलमेश्वर	पिपळा (रिठी)	19	00	22	33
			54/3	00	09	86
नागपूर	कलमेश्वर	कळमेश्वर	284	00	04	00
			341	00	07	73
			91	00	07	49
			117	00	65	75
			122	00	10	51
			123	00	12	98
			124	00	04	20
नागपूर	कलमेश्वर	गोवरी	58	00	46	10
			64	00	17	88
			63	00	00	01
			65	00	16	32
नागपूर	कलमेश्वर	सिन्दी	18	00	07	63
			20	00	02	64
नागपूर	कलमेश्वर	भडांगी	91	00	04	90

			90	00	19	68
नागपूर	कलमेश्वर	हरदोली	174	00	11	86
			198	00	32	17
			39	00	25	73
नागपूर	कलमेश्वर	धापेवाडा (बु)	350	00	22	57
			371	00	11	76
			370/A	00	24	64
			376	00	13	94
			379/1	00	26	96
			250	00	09	97
			200	00	05	48
नागपूर	कलमेश्वर	परसोडी (वकील)	249	00	27	80
			11	00	26	20
			10	00	02	21

[फा. सं. 14014/48/2022-जीपी-II(ई - 41840)]

राकेश मिश्रा, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2023

S.O. 708(E).—Whereas by Notification of Government of India, in Ministry of Petroleum & Natural Gas vide S.O. No. 1281(E) dated 15.03.2022, issued under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of users in land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 23.03.2022, the Government of India declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Pipeline for transportation of natural gas through Mumbai – Nagpur – Jharsuguda (Section:- Nagpur - Jabalpur) pipeline in the State of Maharashtra by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section (6) of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section (6) of the said Act, the Government of India hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of powers conferred by sub section (4) of the Section (6) of the said Act, Government of India hereby directs the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on the this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline						
Section - Nagpur - Jabalpur						
SCHEDULE						
State : Maharashtra						
District	Taluka	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
Nagpur	Kalmeshwar	Gondkhairi	230	00	39	74
			233	00	02	02
			322	00	21	93
			327	00	27	91
			28	00	51	07
			38	00	48	78
Nagpur	Kalmeshwar	Karli (Waneri)	29	00	75	84
			30	00	35	44
			31	00	00	24
			32	00	27	72
			33	00	22	46
			34	00	17	88
			43	00	15	53
			42	00	37	83
			40	00	59	16
			73	00	43	30
Nagpur	Kalmeshwar	Pipla (Rithi)	19	00	22	33
			54/3	00	09	86
Nagpur	Kalmeshwar	Kalmeshwar	284	00	04	00
			341	00	07	73
			91	00	07	49
			117	00	65	75
			122	00	10	51
			123	00	12	98
			124	00	04	20
Nagpur	Kalmeshwar	Gowari	58	00	46	10
			64	00	17	88
			63	00	00	01
			65	00	16	32
Nagpur	Kalmeshwar	Sindi	18	00	07	63
			20	00	02	64
Nagpur	Kalmeshwar	Bhadangi	91	00	04	90
			90	00	19	68
Nagpur	Kalmeshwar	Hardoli	174	00	11	86
			198	00	32	17
			39	00	25	73

Nagpur	Kalmeshwar	Dhapewada (Bu)	350	00	22	57
			371	00	11	76
			370/A	00	24	64
			376	00	13	94
			379/1	00	26	96
			250	00	09	97
			200	00	05	48
Nagpur	Kalmeshwar	Parsodi (Wakil)	249	00	27	80
			11	00	26	20
			10	00	02	21

[F. No. 14014/48/2022-GP-II(E-41840)]

RAKESH MISHRA, Dy. Secy.